भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 399
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि और फॉरेंसिक क्षमता में कमी

399# डा. संदीप कुमार पाठकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर अपराध के कुल कितने मामले दर्ज हुए, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में साइबर अपराध की जांच हेतु कितने डिजिटल फोरेंसिक लैब हैं, 2014 से पूर्व कुल कितने डिजिटल फॉरेंसिक लैब थे तथा 2014 के पश्चात कितने नए लैब्स खोले गए; और

(ग) इन लैब्स के निर्माण, क्षमता वर्धन एवं आधुनिकीकरण हेतु पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि राज्यों को जारी की गयी और राज्यों द्वारा कितना खर्च किया गया तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में

अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत वर्ष 2018 में हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना की गई है।

वर्तमान में, साइबर अपराध के मामलों की जांच में सहायता के लिए देश भर में 07 केंद्रीय डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाएं और 24 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। वर्ष 2014 से पहले 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) में से चंडीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में स्थित 04 सीएफएसएल में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 2014 के बाद, पुणे, भोपाल और कामरूप में 03 नई सीएफएसएल (डिजिटल फोरेंसिक डिवीजनों सहित) स्थापित की गई हैं। वर्ष 2014 से पहले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल फोरेंसिक सुविधाओं से संबंधित आकड़ें (डेटा) केंद्रीय रूप से नहीं रखे गए है।

राज्य एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से वित्तपोषित स्कीम के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ राज्य एफएसएल में साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इन 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-वार सूची और डीएनए तथा साइबर डिवीजनों दोनों के लिए वर्ष-वार जारी की गई राशि का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत 116.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। अभी तक 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं।

*****

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अता.प्र.सं. 399 दिनांक 03.12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	1875	2341	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	47	14	24
3	असम	4846	1733	909
4	बिहार	1413	1621	4450
5	छत्तीसगढ़	352	439	473
6	गोवा	36	90	86
7	गुजरात	1536	1417	1995
8	हरियाणा	622	681	751
9	हिमाचल प्रदेश	70	77	127
10	झारखंड	953	967	1079
11	कर्नाटक	8136	12556	21889
12	केरल	626	773	3295
13	मध्य प्रदेश	589	826	685
14	महाराष्ट्र	5562	8249	8103
15	मणिपुर	67	18	3
16	मेघालय	107	75	64
17	मिजोरम	30	1	31
18	नागालैंड	8	4	2
19	ओडिशा	2037	1983	2348
20	पंजाब	551	697	511
21	राजस्थान	1504	1833	2435
22	सिक्किम	0	26	12
23	तमिलनाडु	1076	2082	4121
24	तेलंगाना	10303	15297	18236
25	त्रिपुरा	24	30	36
26	उत्तर प्रदेश	8829	10117	10794
27	उत्तराखण्ड	718	559	494
28	पश्चिम बंगाल	513	401	309
	कुल राज्य	**52430**	**64907**	**85603**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	28	47
30	चंडीगढ़	15	27	23
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	5	6
32	दिल्ली	356	685	407
33	जम्मू और कश्मीर	154	173	185
34	लद्दाख	5	3	1
35	लक्षद्वीप	1	1	1
36	पुडुचेरी	0	64	147
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**544**	**986**	**817**
	कुल (अखिल भारत)	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II
राज्य सभा अता.प्र.सं. 399 दिनांक 03.12.2025

राज्य एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से वित्तपोषित स्कीम के तहत जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है, उनकी सूची

क्र.सं	**राज्य**	**पिछले 03 वर्षों में कुल जारी राशि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक (करोड़ रुपये)**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी कुल राशि (करोड़ रुपये)**	**वह राशि जिसके लिए जीएफआर फॉर्म 12-ग में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त हुआ**
1	अरुणाचल प्रदेश	0.865	0.865	0
2	असम	1.125	1.125	0
3	छत्तीसगढ़	2.183	3.683	2,01,61,069
4	गुजरात*	0.6075	1.8225	1,08,01,037
5	हिमाचल प्रदेश*	0	7.29	7,29,00,000
6	झारखंड*	1.6625	4.9875	3,26,79,489
7	कर्नाटक*	0	13.96	0
8	केरल	1.625	6.455	4,82,72,502
9	मेघालय	1.7715	1.9365	1,77,15,000
10	मिजोरम*	0	4.19	4,19,00,000
11	नागालैंड*	2.725	5.45	5,45,00,000
12	ओडिशा*	3.1425	9.4275	9,30,60,819
13	पंजाब*	0	7.98	3,99,00,000
14	राजस्थान*	0	6.28	6,27,96,750
15	तेलंगाना	2.98	2.98	0
16	त्रिपुरा*	0	2.11	2,11,00,000
17	उत्तर प्रदेश*	0	7.75	7,06,81,508
18	उत्तराखंड	2.48	2.48	2,48,00,000
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.18	2.18	1,59,68,474
20	पुडुचेरी*	3.395	6.9	6,05,33,389

*वित्तीय वर्ष *2018-19* से इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई हैं।